भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

06.04.2022 के

तारांकित प्रश्न सं. 500 का उत्तर

बुलेट ट्रेन परियोजना

***500. श्री कल्याण बनर्जी:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पहली बुलेट ट्रेन संबंधी परियोजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) महाराष्ट्र तथा गुजरात में कृषि भूमि के स्वामियों, जिनकी भूमि को सरकार मुम्बई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए अर्जित करना चाहती है, को प्रदान किए जा रहे पुनर्वास एवं मुआवजे संबंधी पैकेजों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस परियोजना में लगातार विलंब होने के परिणामस्वरूप इसकी लागत में वृद्धि होने की आशंका है;

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या निर्धारित समय-सीमा में बदलाव करके अब इसे वर्ष 2026 कर दिया गया है और यदि हां, तो इससे जापान सरकार तथा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ हुए समझौता ज्ञापन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा इसका कुल व्यय कितना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

बुलेट ट्रेन परियोजना के संबंध में दिनांक 06.04.2022 को लोक सभा में श्री कल्याण बनर्जी द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 500 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): जी हां। सरकार ने दिसंबर 2015 में जापान सरकार के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल गलियारे को स्वीकृति दे दी है और इस समय यह कार्यान्वित की जा रही है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है:-

- **वन्य जीवों, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) और वन स्वीकृति से संबंधित सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं।**
- **लगभग 1396 हेक्टेयर भूमि की कुल आवश्यकता में से अब तक लगभग 1248 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है।**
- **संपूर्ण परियोजना को वड़ोदरा में प्रशिक्षण संस्थान सहित 27 ठेका पैकेजों में विभाजित किया गया है। इस समय 13 पैकेज दिए जा चुके हैं, 3 पैकेजों का मूल्यांकन किया जा रहा है और 2 पैकेजों के लिए नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर आमंत्रित किए गए हैं।**
- **गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली स्थित परियोजना के कुल 352 किमी में से, दिसंबर 2020 से 352 कि.मी. लंबाई में सिविल कार्य विभिन्न चरणों में शुरू कर दिए गए हैं।**

(ग): मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए भूमि अर्जन और पुनर्वास संबंधी कार्य-कलाप 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013' और संगत संशोधन तथा संबंधित राज्य सरकारों के सरकारी संकल्प के अनुसार किए जा रहे हैं।

(घ) से (च): वर्ष 2015 के अनुसार मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की लागत 108000 करोड़ रु. है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण में विलंब होने और उसके बाद ठेकों को अंतिम रूप देने में विलंब होने तथा कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के निष्पादन में विलंब हुआ है। भूमि अधिग्रहण, सभी ठेकों को अंतिम रूप देने और संबंधित समय-सीमा के बाद ही, समय और लागत में प्रत्याशित बढ़ोतरी का आकलन किया जा सकता है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार जापान सरकार परियोजना लागत का अधिकतम 81 प्रतिशत ऋण मुहैया कराएगी। वास्तविक लागत और ऋण की मात्रा को अपेक्षित होने पर संशोधित किया जाएगा।

****